न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर ।

अपील संख्या-28/2017

1-भागीरथ
2- माला
3- बंशी
4- माला पुत्र काना
5- जयराम पुत्र काना
6- सीताराम पुत्र कानू पुत्र काना
7- हरदान पुत्र कानू पुत्र काना

पुत्रगण स्व0 प्रभाता

जाति गूजर निवासी नृसिंहाला तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज0)

---अपीलार्थीगण--

----बनाम---

1- जिला कलेक्टर सीकर ।
2- राज्य सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर ।

--रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध आंवटन आदेश
दिनांक 8-9-2017 द्वारा
जिला कलेक्टर, सीकर ।

---0---

उपस्थिति-----
1-श्री महेशकुमार पटेल एडवोकेट- अपीलान्ट
2-श्री पोकरमल राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक- 15.11.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार/उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने ग्राम न्यौराना की आराजी ख0नं0 35 रकबा 0.72 हैक्टर में से 0.05 हैक्टर अर्थात 500 वर्गमीटरभूमि शहिद बनवारी लाल गुर्जर के स्मारक स्थल निर्माण हेतु ग्राम पंचायत न्यौराना को आँवटन किये जाने की सिफारिश की । जिस पर अदालत मातहत ने कार्यवाही करते हुये उक्त आराजी 0.05 हैक्टर यानि अर्थात 500 वर्गमीटर भूमि शहीद श्री बनवारीलाल गुर्जर के स्मारक स्थल निर्माण हेतु ग्राम पंचायत न्यौराना को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

वर्णनिशुल्क आंवटन कर दी जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने निर्णय पारित करने से पूर्व विधि के सुस्थापित व सिद्धान्तों का कतई अवलोकन नहीं कर सख्त कानूनी भूल की है । अदालत मातहत के समक्ष उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना की आवंटन बाबत पत्रावली पर आदेशिका दिनांक 7-7=2017 स्पष्ट अंकन किया है कि न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर के आदेश को माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा खारिज कर दिया गया है तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के निर्णय के अनुसार पत्रावली रिमाण्ड की गई है । जिसकी प्रति अदालत मातहत के समक्ष पेश की गई किन्तु अदालत मातहत ने इस ओर कोई गौर न कर अपना निर्णय विधि के विपरित पारित किया है ।माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर का निर्णय दिनांक 2-5-2017 पारित होने के उपरान्त जब तक न्यायालय अपर जिला कलेक्टर सीकर निर्णय पारित नहीं करता है। तब तक उक्त भूमि पर मालिकाना हक व स्वामित्व अपीलार्थीगण का ही है । इस कारण योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है ।साबित खसरा नं0 25/1 के नये खसरा नम्बर में एक खसरा नं0 35 रकबा 0.72 हैक्टर में शामिल होने तथा विवादित होने का उल्लेख उप खण्ड अधिकारी/तहसीलदार नीमकाथाना ने अपनी पत्रावली मे किया है । इसके बाद भी अदालत मातहत ने ख0नं035 में से ही उक्त आराजी का आंवटन किया है ।जो विधि के विपरित है । जब कानूनन जो भूमि एक बार आवंटन हो चुकी कानूनन व दुबारा आंवटन नहीं की जा सकती माननीय राजस्व अपील प्राधिकारीसीकर ने अपने निर्णय दिनांक 2-5-17 से अपीलान्ट का आवटन बहाल हो गया । जिससे पूर्व का आवटन आदेश दिनांक 17-6-1999 वापस अमल में आ गया ।नामान्तरकरण सं0- 414 दिनांक 14-10-1999 वापस बहाल हो गया ।अब अदालत मातहत ने इस आराजी को पुन: आंवटन कर कानून के विरूद्ध कार्यवाही की है ।दिनांक 15-9-2017 को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

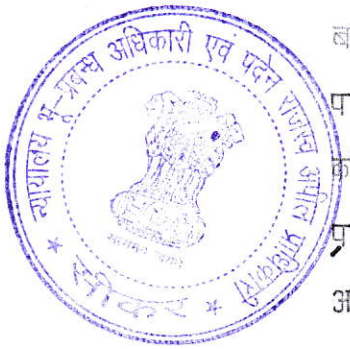

बनवारीलाल गुर्जर के परिवारजन ने उक्त अपीलार्थीगण के पक्ष में आंवटित भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी थी तथा अपीलान्ट को धमकी दी की इस भूमि को हमने आंवटन करवाली है । तब अपीलान्ट ने आंवटन आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमो में दर्ज तथ्यो को दौहराते हुये कथन किया कि ग्राम न्योराना में आराजी ख0नं0 25/1 में से 0.50 हैक्टर भूमि का आवटन उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा दिनांक 17-6-1999 को किया गया है । जिसके आधार पर नामा0सं0-14.10-1999 को स्वीकृत किया गया है ।गत ख0नं0 25/1 का ही नया ख0नं0 35 रकबा 0.72 हैक्टर बना है । इस प्रकार पूर्व आंवटित आराजी का आंवटन यथावत रहते अब पुनः आवटन विधि के विपरित है । माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा विद्वान अपर जिला कलेक्टर सीकर का आदेश निरस्त कर उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना का आवंटन आदेश बहाल रखा है । इससे स्पष्ट है कि आंवटित की गई आराजी आज भी अपीलान्टस् को आंवटन की हुई है जिसका नामान्तरकरण सं0-414 दिनांक 14-10-1999 प्रभावी है ।इसके बाद भी आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर न देकर आदेश पारित किया है ।अदालत मातहत ने ख0नं0 35 में से भूमि का आंवटन विधि विरूद्ध पारित किया है ।जमाबन्दी सं0-2070 से 2073 में ख0नं0 35 रकबा 0.72 हैक्टर में से 0.05 हैक्टर किस्म गै0मु0 स्मारक शहीद बनवारीलाल गुर्जरके नाम दर्ज कर खसरा नं0-35/2 दर्ज किये है । जबकि यह आराजी पूर्व से ही आंवटन शुदा है । अदालत मातहत ने राजस्व रेकार्ड का अवलोकन न कर अपना निर्णय पारित किया है जो विधि के विपरित है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कर अदालत मातहत आदेश निरस्त किया जावे ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है । अदालत मातहत ने तहसीलदार नीमकाथाना एवं उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना की सिफारिश के बाद आराजी का आंवटन किया है। ख0नं0 35 का रकबा 0.72 हैक्टर है। जिसमें से केवल 0.05 हैक्टर भूमि का ही आंवटन किया गया है । आंवटन की गई आराजी खाली है । जिसका आंवटन नियमानुसार किया गया है । आंवटन की गई आराजी का राजस्व रेकार्ड में भी अमलदरामद हो चुका है । आंवटित रकबा कोई बडा रकबा नहीं है । अपीलान्ट केवल एक शहीद के स्मारक को रूकवाने के लिये यह अपील की है। अन्यथा अपीलान्ट को आंवटित रकबा 0.72 हैक्टर में से 0.50 हैक्टर निकाला जाता है तो भी शेष 0.22 हैक्टर भूमि बचती है । इस प्रकार योग्य अदालत मातहत का निर्णय विधिनुसार सभी दस्तावेजों का अवलोकन कर पारित किया गया है । अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2070 से 2073 में ख0नं0 35 रकबा 0.72 हैक्टर सिवाय चक काबिल काश्त लगानी दर्ज है ।पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार ख0नं0 25/1 रकबा 4.66 हैक्टर में से 0.50 हैक्टर भूमि अपीलान्टस् को आंवटित है जिसका वाद राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां विचाराधीन बताया है तथा गत ख0नं0 25/1 रकबा 4.66 हैक्टर के नये खसरा नम्बरों में से एक खसरा नं0 35 रकबा 0.72 हैक्टर बना है । ख0नं0 35 रकबा 0.72 हैक्टर में से 0.05 हैक्टर भूमि शहीद बनवारीलाल गूर्जर के स्मारक के लिये आंवटन हेतु निवेदन किया है । तहसीलदार ने भी ख0नं0 35 रकबा 0.72 हैक्टर में से 500 वर्गमीटर का पूर्व में कोई आंवटन नहीं बताया है ।अदालत हाजा का निर्णय दिनांक 2-5-2017 मे आराजी ख0नं0 25/1 रकबा 4.66 हैक्टर में से 0.50 हैक्टर का आंवटन किये जाने के बाबत निर्णय किया है । यह आवंटन अपीलान्टस् के हक में किया गया ।जिसका नामा0सं0-414 के द्वारा अमलदरामद किया गया है *

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गत ख0नं0 25/1 रकबा 4.66 हैक0 के हाल ख0नं0 26से 30, 32, 34, 35, 86 से 93 बने हैं । जिसमें आवंटीत ख0नं0 35 रकबा 0.72 हैक्टर है । अपीलान्ट को 4.66 हैक्टर में से केवल 0.50 हैक्टर भूमि का आवंटन किया है। यदि मान भी लिया जावे कि अपीलान्ट को आवंटीत किया गया रकबा ख0नं0 35 में से ही है तो भी इस खसरा नम्बर मे 0.22 हैक्टर रकबा शेष रहता है। जिसमे से केवल अदालत मातहत ने 0.05 हैक्टर अर्थात 500 वर्गमीटर का ही आवटन किया गया है । अपीलान्ट का आंवटित रकबा तो इससे प्रभावित ही नहीं होता है । शहीद बनवारीलाल व गूर्जर देश की सेवा करते हुये शहीद हुआ है । उसको किये गये आंवटन आदेश मे हम किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं पाते हैं ।जिससे अदालत मातहत के आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान जिला कलेक्टर सीकर का आंवटन आदेश दिनांक 8-9-2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 15.11.2017 को सुनाया गया ।

15/11/17

(शंकरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर ।